न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)
राजस्व वाद सं. 09/2017

वादीगण

1- नानू शेख पुत्र नसरूदीन उम्र 62 उम्र जाति मुस्लिम शेख निवासी सींघी तालाब के ऊपर, डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1- श्रीमान तहसीलदार महोदय, डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी एवम् स्थायी निषेधाज्ञा बाबत।
उपस्थित – श्री लालसिंह गोदारा, अधिवक्ता वादी की ओर से।
तहसीलदार डीडवाना प्रतिवादी

निर्णय

दिनॉक :– 09/07/2019

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम डीडवाना में राजस्व भूमि पुराना खसरा नम्बर 818 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा अवस्थित रही है। उक्त पुराना खसरा नम्बर 818 के नये खसरा नम्बर 854 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 855 रकबा 0.06 बीघा बने तथा सम्वत 2016 में उक्त खसरा नम्बर 818 की कुछ भूमि रेल्वे बाउण्ड्री में चली गयी जिसके ओ.के.नं. 1089/5.9.59 है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही उपरोक्त भूमियों पर वास्तविक एंवम् भौतिक कब्जा काश्त वादी के पिता नसरूदीन व दादा की रही है उनके स्वर्गवास अब उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादी का ही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रभाव सम्वत 2012 में हुआ, उक्त सुसंगत समय से पूर्व भी उक्त भूमियों पर वादी के पिता व दादा के कब्जा काश्त की ही रही है। तहसीलदार डीडवाना द्वारा बनाया गया प्रपत्र–1 के अनुसार भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वादी का है। उक्त वर्णित समस्त भूमियों पर वादी के पिता एवं उनके स्वर्गवास पश्चात वादी के अलावा अन्य किसी का कब्जा काश्त नही रहा है आज भी लगातार वादी का कब्जा काश्त है, राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही व भूल से कालान्तर में गलत रूप से दिनॉक 19.09.1965 को महकमा कस्टोडियम के नाम की खातेदारी दर्ज हो गयी, तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सिवाय चक दर्ज हुई है जिसका उस वक्त मौका का किसी प्रकार का निरीक्षण नही करके केवल मात्र कागजी कार्यवाही करके ही उक्त भूमि को चालू पड़त (सिवाय चक) दर्ज कर दिया गया है जबकि सम्पूर्ण भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त रहा है वादी के अलावा अन्य किसी का कोई कब्जा काश्त ही नही था। उक्त भूमि पर कस्टोडियम विभाग का या अन्य किसी का कोई अधिकार एवं कब्जा काश्त नही है

...2...

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

तथा वादी व उसके परिवारजन कभी भी भारत छोड़कर पाकिस्तान नही गये है पुराने रकेर्ड में गडकमा कस्टोडियम गलत रूप से दर्ज हो गया जिसे वादी शुद्विकरण करवाकर पुरानी कदीमी समय से वादी के कब्जा काश्त की चली आ रही कृषि भूमि को वादी अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी है वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में चालू पड़त दर्ज होने के कारण समय समय पर काश्त के समय पटवारी हल्का व अन्य राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऐलानिया धमकिया देते है तथा वादी को पैतृक कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकिया देते है तथा उसके अधिकारो व हितो को चुनौती देने लग है तथा येन केन प्रकारेण वादी की पैतृक कृषि भूमि से मरहूम रखना चाहते है जिस हेतु यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। अब वादी की उक्त कब्जासुदा भूमियों से पुराने रकेर्ड में कस्टोडियम विभाग तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक (चालू पड़त) भूमि में वादी अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने का हकदारी है,उक्त भूमि मे वादी जनवरी 2017 में देखभाल करने गया तो प्रतिवादी सं. एक के कर्मचारियो ने उसे ऐसा करने से मना किया तथा राजस्व कर्मचारियो की गलती से उक्त वादी की पैतृक कृषि भूमि चालू पड़त के नाम दर्ज कर दी गयी जो एक राजस्व कर्मचारियो की बड़ी भूल रही है इसलिए उक्त वादी की पैतृक भूमि खसरा नम्बर 854 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 855 रकबा 06 बिस्वा का वादी के पूर्वजो के कब्जा काश्त की भूमि को चालू पड़त दर्ज की गई है परन्तु कब्जा काश्त कदीमी समय से वादी का है उक्त रिकार्ड अशुद्वि के कारण राजस्व कर्मचारियो की गलती के कारण वर्ममान रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि के हल्का पटवारी व तहसीलदार डीडवाना द्वारा बार बार बेदखल करने की धमकिया दी जा रही है एवं वादी के हितो व अधिकारो को चुनौती देने लगने से बमुकाम डीडवाना में उत्पन्न हुआ है। वादी की इस्तदुआ है कि सरदह डीडवाना के पुराना खसरा नम्बर 818 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 854 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 855 रकबा 06 बिस्वा जो वादी की कदीमी समय से पैतृक कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है उक्त खसरा नम्बर 854 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 855 रकबा 06 बिस्वा की भूमि की राजस्व रेकर्ड में खातेदारी वादी के पक्ष में डिक्री जारी करने की कृपा करावे, उपरोक्त भूमि में शुद्विकरण किया जाकर वादी के उपयोग व उपभोग में प्रतिवादी व उसके कर्मचारी किसी प्रकार की दखलअंदाजी कच्चे पक्के निर्माण में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे न ही अन्य किसी से करावे वादी को काश्त कार्य करने व स्वतन्त्र उपयोग में लेने पर किसी प्रकार की रोक–टोक नही करे तथा नही किसी अन्य व्यक्ति से करावे, उचित अनुतोष जो वादी के हित व लाभ का हो की डिक्री भी वादी के पक्ष में जारी फरमावे।

वादी द्वारा दिनॉक 24.01.2017 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 राजस्थान

...3...

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

भू– अधिनियम (परमानेन्ट एलोटमेंट ऑफ इवेक्यू एग्रीकल्चर लैण्ड) नियम 1963 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया। सुनवाई दौरान प्रार्थी/वादी द्वारा दिनॉक 20.05.2019 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रकरण में उक्त धारा के स्थान पर काश्तकारी अधिनियम के तहत रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना चाहता है उपरोक्त प्रार्थना–पत्र तथा वाद के समस्त तथ्य तथा खसरा नम्बर एक ही है, वादी द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा में उक्त प्रार्थना–पत्र नियमन शुल्क देय कर भूमि का राजस्व रिकार्ड अपने नाम से करवाने हेतु पेश किया गय था जो आवेदन पत्र भूलवंश पेश हो गया था तथा अब उक्त प्रार्थना–पत्र के स्थान पर उन्ही खसरा नम्बर का वाद घोषणा खातेदारी करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है वाद का मीमो आवदेन पत्र के साथ पेश किया है उक्त आवेदन व वादी में वादी ने कोई भी तथ्य परिवर्तन नही किये है, उपरोक्त आवेदन पत्र के स्थान पर अगर उक्त ववाद रेकर्ड पर ले लिया जाता है तो प्रतिवादी को किसी प्रकार की कोई हानि नही होगी, प्रतिवादी को उक्त वाद को खण्डल करने का भी अवसर मिलेगा तथा आवेदन पत्र की रिलीफ व वाद की रिलीफ एक समान ही है मामला अचल सम्पति का है अगर उक्त आवेदन पत्र के स्थान पर रेकर्ड पर नही लिया तो वादी का बहुत ही हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति सम्भव नही होगी अतः आवदेन स्वीकार कर वाद को रेकार्ड पर लेने के आदेश फरमावे। उक्त प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी की प्रति अप्रार्थी/प्रतिवादी को दी गई, जिन्होने दिनॉक 27.05.2019 को जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि आवेदन के विचाराधीन रहने को लगभग 2 वर्ष 6 माह हो चुके है तथा आवेदन पत्र एवं वाद पत्र में भिन्नता है, यदि प्रार्थी द्वारा भूलवंश आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो आवेदन धारा 5 राज.भू–राजस्व अधि. को विड्रोल/खारिज करवाना चाहिये, उक्त प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा दिनॉक 30.07.2018 को जवाब प्रस्तुत किया गया है, उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 854 855 वर्तमान में राज्य सरकार की खातेदारी , स्वामित्व शुद्वा है जो पूर्व में भारत सरकार महकमा कस्टोडियम दर्ज था, जबाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना–पत्र 151 सी पी सी खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना–पत्र 151 सी.पी.सी. पर दोनो पक्षो की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रार्थी/वादी नानू एवं उसके पूर्वजो के नाम खातेदारी में भूमि दर्ज चली आई है तथा आज दिन कब्जा काश्त भी नानू का ही है जिसकी पुष्टि उसके विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण धारा 91 राज.भू.राजस्व अनुसार होती है, प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के अनुरूप भी वादी/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र इस स्तर पर खारिज किया जाना न्याय संगत नही होगा, चूँकि वादग्रस्त भूमि में नानू अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाया जाने का

...4...

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अनुतोष वाद एवं आवेदन पत्र मे है तथा उपलब्ध रेकार्ड अनुसार भी वादी/प्रार्थी का प्रकरण बहस स्तर पर विचाराधीन है अतः न्यायायलय का मत है कि प्रार्थना–पत्र 151 सी पी सी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत मीमो वाद को नम्बर पर लिया गया। उसी अनुरूप प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब को माना जाता है।

प्रतिवादी तहसीलदार डीडवाना ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है, पूर्व में खसरा नम्बर 854, 855 भारत सरकार महकमा कस्टोडियम के नाम दर्ज रहा है।

वादी द्वारा नक्शा ड्रेस की नकल,निष्क्रांत सम्पति (कृषि भूमि) ग्रामवार/ खसरावार विवरण सूची की प्रमाणित प्रति,सेटलमेन्ट विभाग का प्रपत्र, न्यायालय तहसीलदार डीडवाना द्वारा जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की प्रति, चालू जमाबन्दी ग्राम डीडवाना के खसरा नम्बर 854 855 सम्वत 2070–2073 की नकल प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। बहस दौरान वादी वकील द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व (पुनर्वास) विभाग क्रमांक/एफ–1(15) राजस्व/2009 जयपुर, दिनॉक अक्टूबर 06, 2009 परिपत्र की प्रति प्रस्तुत की है।

प्रकरण में बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी के अधिवक्ता ने बहस दौरान प्रस्तुत वाद के तथ्यो को दौहराते हुए वादग्रस्त भूमि की खातेदारी चाही है तथा उक्त भूमि पर उसके पूर्वजो का तथा उनके पश्चात वादी का कब्जा काश्त चला आया है, जिसकी खातेदारी पाने का वह मुश्तहक है। प्रतिवादी द्वारा बहस दौरान बताया है कि वर्तमान में उक्त भूमि राजकीय दर्ज है तथा वादी के विरूद्व अक्टूबर 2016 में धारा 91 की कार्यवाही की गई एवं वादी का वाद खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में उपलब्ध तथ्यो से साफ जाहिर है कि प्रश्नगत भूमि वादी नानू के पूर्वजो की रही है जो राजस्व कर्मचारियो की गलती से कस्टोडियम विभाग के नाम दर्ज हुई तत्पश्चात राजकीय दर्ज होकर आज दिन राजस्थान सरकार के नाम दर्ज चली आ रही है, उपलब्ध तथ्य धारा 91 के नोटिस एवं निष्क्रांत सम्पति (कृषि भूमि) ग्रामवार/ खसरावार विवरण सूची में क्रम संख्या 174 175 पर वर्तमान काबिज नानू शेख पुत्र नसरूदीन की काश्त का अंकन होना इस बात को साबित करता है कि प्रश्नगत भूमि पर वादी नानू का कब्जा काश्त चला आ रहा है साथ ही साथ वादी के पूर्वज भूमि छोड़कर कही चले गये हो इस बात की पुष्टि किसी भी दस्तावेज इत्यादि से नही होती है। प्रस्तुत आंशिक नकल खतौनी सम्वत 2070–2073 ग्राम डीडवाना के खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 855 रकबा 0.07 गैर मुमकिन भूमि जो जुताई के लिये अनुपलब्ध, खाता संख्या 1143 खसरा नम्बर 854 रकबा 13.00 बारानी प्रथम नगरपालिका मण्डल डीडवाना

...5...

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

एवं नामान्तरकरण संख्या 4149 दिनॉक 24.09.2014 के अनुसार खसरा नम्बर 854 राजस्थान सरकार के नाम स्वीकृत का नोट अंकित है। तहसीलदार डीडवाना के न्यायालय के प्रकरण संख्या 71/2016 सरकार बनाम नानू पुत्र नसरूदीन जाति अलामा नि. अलामा का चौराया डीडवाना नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 ग्राम डीडवाना के खसरा नम्बन 854 855 में अनाधिकृत कब्जा काश्त के सम्बन्ध में जारी किया गया है। सेटलमेन्ट विभाग के प्रपत्र में खसरा नम्बर 854 855 में काश्त दर्ज है, निष्क्रांत सम्पति (कृषि भूमि) ग्रामवार/ खसरावार विवरण सूची में क्रम संख्या 174 175 पर वर्तमान काबिज नानू शेख पुत्र नसरूदीन की काश्त का अंकन है। परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व (पुनर्वास) विभाग क्रमांक/एफ–1(15) राजस्व/2009 जयपुर, दिनॉक अक्टूबर 06, 2009 अनुसार निष्क्रांत सम्पतियो जिनका आंवटन नही किया गया है को राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज किया जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की भूमियों का निस्तारण राजस्व विभाग एवं उपनिवेशन विभाग अपने नियमों के तहत करेगा, ऐसे निर्देश दिये गये है। उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि अनुसार डीडवाना के खसरा नम्बर 854, 855 की भूमि पर वादी एंव उनके पूर्वजो का कब्जा काश्त चला आया है जिसकी पुष्टि निष्क्रांत सम्पति (कृषि भूमि) ग्रामवार/ खसरावार विवरण सूची में क्रम संख्या 174 175 पर वर्तमान काबिज नानू शेख पुत्र नसरूदीन की काश्त का अंकन से होती है साथ ही साथ वादी के विरूद्व 2016 में धारा 91 की कार्यवाही अनुसार कब्जा काश्त की कार्यवाही से भी वादी का कब्जा काश्त साबित है, प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे स्पष्ट होता हो कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि कभी राजयकीय खाते में दर्ज रही हो ? उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर कदीमी से वादी एवं उनके पूर्वजो का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वाद वादी उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि से साबित होने से निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादी डिक्री किया जाकर ग्राम डीडवाना के खसरा नम्बर 854 रकबा 13.00 खसरा नम्बर 855 रकबा 0.07 मे वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 09/07/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इन्तोहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : डीडवाना जिला नागौर

बइजलास : बाबूलाल जाट (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या 09/2017

राजस्व वाद सं. 09/2017

वादीगण

1- नानू शेख पुत्र नसरूदीन उम्र 62 उम्र जाति मुस्लिम शेख निवासी सींघी तालाब के ऊपर, डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1- श्रीमान तहसीलदार महोदय, डीडवाना

दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी एवम् स्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

उपस्थित – श्री लालसिंह गोदारा, अधिवक्ता वादी की ओर से।
तहसीलदार डीडवाना प्रतिवादी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री लालसिह गोदारा अधिवक्ता वादी की ओर से हाजिरी ..... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .....मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादी डिक्री किया जाकर ग्राम डीडवाना के खसरा नम्बर 854 रकबा 13.00 खसरा नम्बर 855 रकबा 0.07 मे वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज ..... मुबलिग ..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 09 माह 07 सन् 2019 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत सहायक कलेक्टर
ओहदा..... डीडवाना (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि□नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner